न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1244–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–2012 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना, म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 8/ए–70/13–14.

.....

1 रघुराई उर्फ घुर्रा पिता रामकुमार कुम्हार (प्रजापति)
2 रामसुदर्शन पिता गोपाल कुम्हार (प्रजापति)
दोनों पुनरीक्षणकर्ता के निवास (साकिन)
चौरहा राजस्व मण्डल चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

दयाराम पिता रामकुमार साकिन चोरहा तहसील रामपुर बाघेलान
जिला सतना म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री श्याम किशोर मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-9-15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1244–दो/14 इस न्यायालय के समक्ष म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला

सतना, म0 प्र0 के कथित नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 22–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । निगरानी आवेदन दिनांक 13–3–14 के संलग्न निगराकारके अधिवक्ता श्री एस0 के0 मिश्रा द्वारा आवेदन दिनांक 13–3–14 को ही 'लिस्ट कागजात' उस लिस्ट के कागजातों की प्रतियों के साथ, राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है । इस 'लिस्ट कागजात' के संलग्न, अथवा किसी अन्य समय, निगराकर्ता द्वारा, अथवा अन्य किसी स्त्रोंत से राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा के किसी आदेश दिनांक 22–7–14 की प्रति इस प्रकरण में संलग्न नहीं पाई जाती है । यह स्पष्ट है कि निगराकार द्वारा राजस्व निरीक्ष के तथाकथित विवादित आदेश दिनांक 22–7–12 की कोई प्रति इस राजस्व मण्डल न्यायालय को कभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगराकार द्वारा कभी भी इस राजस्व मण्डल न्यायालय को कोई अन्य राजस्व निरीक्षक का ऐसा आदेश भी नहीं उपलब्ध कराया गया है, जिसे कि विवादित आदेश दिनांक 22–7–12 के एवज में विचारण हेतु मान्य किया जा सके । हालांकि दिनांक 24–8–15 को निगराकार के अधिवक्ता ने एक आवेदन, कुछ तिथियों को सुधार कर पढ़ने हेतु, इस न्यायालय के समक्ष दिया था, किन्तु उसमें आदेश दिनांक 22–7–12 का कोई हवाला नहीं है । निगराकार ने कहीं भी अधीनस्थ न्यायालय के वर्ष 2012 के किसी प्रकरण कमांक का उल्लेख नहीं किया है । राजस्व मण्डल के इस प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 21–3–14 में ग्राह्यता के पूर्व अभिलेख अवलोकन का उल्लेख है । इस तारतम्य में इस न्यायालय में दिनांक 23–2–15 को न्यायालय नायब तहसीलदार, चोरहटा के प्रकरण कमांक 8/ए70/13–14 का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें गैर निगराकार दयाराम आवेदक था एवं निगराकार कमांक 2 रामसुदर्शन अनावेदक था । निगराकार कमांक 1 रघुराई उर्फ घुर्रा उसमें पक्षकार नहीं था, केवल उस प्रकरण के अभिलेख में धुर्रा के बयान पाए जाते है । राजस्व मण्डल में भेजे जाने के पूर्व तहसील का वह प्रकरण उस प्रकरण के पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर दिनांक 30–8–14 को समाप्त हो चुका था । संभवतः यही कारण है कि इस न्यायालय के समक्ष बावजूद सूचना, गैर निगराकार दयाराम उपस्थित नहीं हुआ । इस न्यायालय के

समक्ष के निगरानी मेमों दिनांक 13–3–14 में वर्ष 2004 के एक पुराने प्रकरण का हवाला लेते हुए निगराकारों द्वारा यह कहा गया है कि उसके प्रकाश में वर्ष 2014 में की गई तरमीम/सीमाकंन की कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । तर्क के बिन्दु निगरानी मेमों में लिखे है।

2 मेरे द्वारा नस्ती पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया गया एवं प्रकरण के बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । अभिलेखों के अवलोकन एवं तर्कों पर विचार करने से निम्न बिन्दु समक्ष आते है :–

1) वर्ष 2012 अथवा वर्ष 2014 का कोई ऐसा आदेश (राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 22–7–12) अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हो पाया है जिसके विरूद्ध निगराकार निगरानी में आना चाहता है । वर्ष 2014 की कार्यवाही के संबंध में पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 8–2–14 उपलब्ध है, एव नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 8/ए70/13–14 निगराकार कमांक 2 एवं गैर निगराकार की सहमति के आधार पर दिनांक 30–8–14 को समाप्त किया जा चुका है ।

2) दिनांक 7 एवं 8.02.14 के अभिलेखों पर निगराकार कमांक 1 रघुराई का अंगूठा निशान एवं निगराकार कमांक 2 रामसुदर्शन का हस्ताक्षर उपलब्ध है ।

3) वर्ष 2004 के अभिलेखों की प्रतियों में गैर निगराकार दयाराम एवं निगराकार कमांक 2 रामसुदर्शन के हस्ताक्षर नहीं हैं । ये अभिलेख निगराकार कमांक 1 धुर्रा के आवेदन पर सृजित होना उल्लिखित है ।

3/ उपरोक्त के प्रकाश में मैं इस निर्णय पर पहुॅचता हूॅ कि चूॅकि निगराकार कोई ऐसा आदेश रिकार्ड पर ला सकने में सफल नहीं हुए हैं, जिसके विरूद्ध निगरानी की जा सके, अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है ।

4/ यदि पक्षकार अपनी भूमियों के नक्शा तरमीम एवं सीमाकंन की आवश्यकता अभी भी शेष समझते हैं, तो वे इसके लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन

कर सकते हैं । यदि ऐसा कोई नवीन तरमीम/सीमाकंन का आवेदन ऐसी भूमियों/पक्षकारों के संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होता है जिनके संबंध में पूर्व में भी किसी समय पर समस्त विधिक प्रकिया का पूर्ण पालन करते हुए, अर्थात् समस्त सीमावर्ती एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना, अवसर इत्यादि देते हुए निर्णय लिया गया हो, तो ऐसे समस्त तथ्य एवं विधि के बिन्दुओं की विधिवत विवेचना एवं निराकरण करने के उपरान्त, ऐसे प्रस्तुत होने वाले आवेदन का निराकरण किया जाए। अन्यथा की स्थिति में, आवेदन आने पर, तदनुसार तथ्यों के प्रकाश में, विवेक एवं विधि के योजन से निर्णय पारित हो ।

5/ मेरे द्वारा इस प्रकरण के अभिलेखों के परिशीलन से यह भी पाया जाता है कि निगराकार पक्ष द्वारा उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जो निगरानी मेमों इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है एवं उसे अपेक्षित सावधानी के साथ नहीं बनाया गया है । यहां तक कि विवादित तथाकथित आदेश दिनांक 22–7–12 तक का हवाला तथ्यों एवं अभिलेखों से प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, और ना ही निगराकार पक्ष या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आदेश की कोई भी प्रति इस न्यायालय को कभी भी उपलब्ध कराई गई है । इस कारणवश इस न्यायालय का कीमती समय व्यर्थ हुआ है । इस पर निगराकार पक्ष एवं उनके विद्वान अधिवक्ता के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है, एवं रूपये 500 का जुर्माना निगराकार पक्ष पर इस कारणवश अधिरोपित किया जाता है ।

6/ प्रकरण खारिज । दा0 दर्ज हो । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस हो।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर